साक्षर भारत

कानूनी साक्षरता शृंखला - 4

गरिमा का सवाल

(यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)

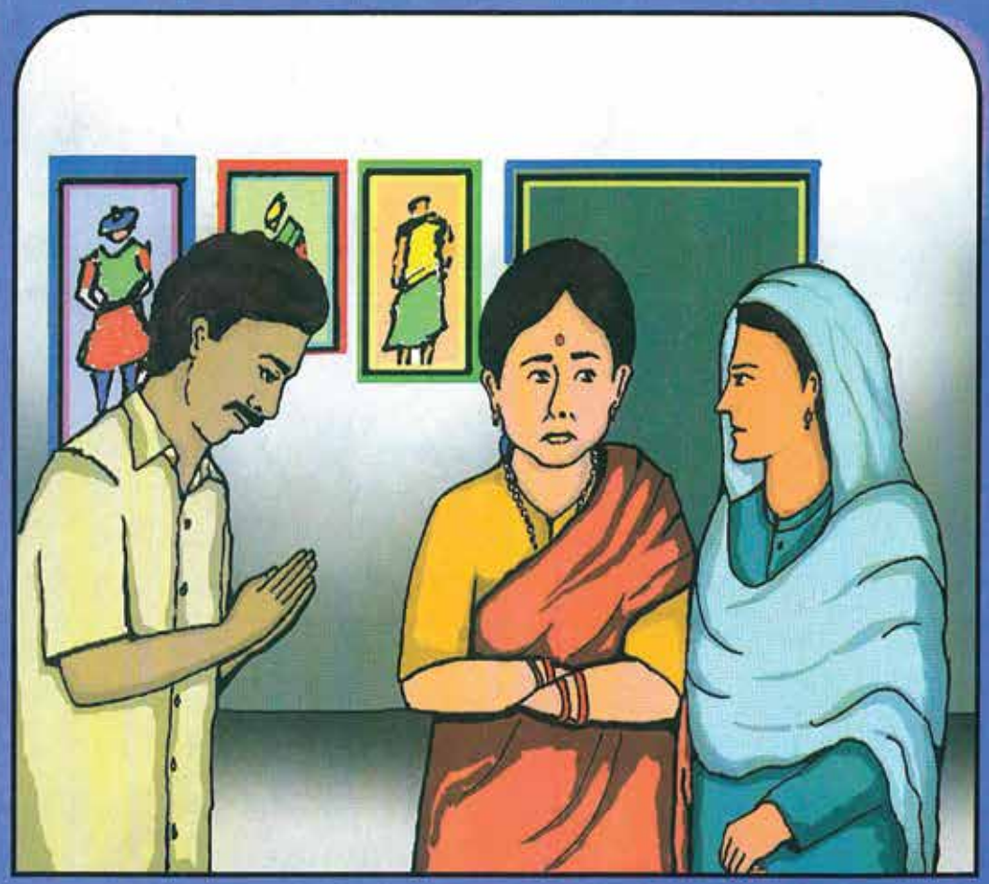

आभार

साक्षर भारत कार्यक्रम सितम्बर 2009 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत देश के निम्न महिला साक्षरता दर वाले 410 जिलों को सम्मिलित किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय है। कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता के साथ-साथ समतुल्यता कार्यक्रम, कौशल विकास व सतत् शिक्षा को भी जोड़ा गया है।

साक्षरता को शिक्षार्थियों/लाभार्थियों के दैनिक जीवन से अधिक जुड़ा हुआ व रोचक बनाने के उद्देश्य से इन्टरपर्सनल मीडिया कैम्पेन प्रारंभ किया गया है। कैम्पेन में जिन प्रमुख विषयों पर बल दिया जा रहा है उनमें कानूनी साक्षरता भी एक प्रमुख विषय है।

कानूनी साक्षरता की जानकारी सहज रूप में जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कानूनी साक्षरता शृंखला का निर्माण किया गया है। कानूनी साक्षरता सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यशाला में राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर, भोपाल, रांची, पलामू के साथियों द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मार्गदर्शन में किया गया है।

कानूनी साक्षरता सामग्री के निर्माण में न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार व यूएनडीपी के A2J प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट टीम द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया व सामग्री का अनुमोदन न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण सभी सहयोगी संस्थाओं/विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता है। आशा है कि यह सामग्री कानूनी साक्षरता के प्रति जन सामान्य में कानूनी जागरूकता लाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

गरिमा का सवाल

नफीसा की शादी को छह साल ही बीते थे कि उसके पति चल बसे। दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अब नफीसा पर आ पड़ी। उसे तो अपना दुःख समझने का समय ही नहीं मिला। पहले तो रिश्तेदारों की भीड़, फिर बच्चों के सवाल। इन्हीं से निपटते-निपटते वह समय आ गया, जब नफीसा को यह निर्णय लेना था कि वह कोई रोजगार करे। आखिर मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई, खाने-पहनने के लिए पैसा कहां से आएगा?

नफीसा जरदोजी का काम बहुत अच्छा करती थी। उसने सोचा- इस मुसीबत में उसका यही हुनर उसकी मदद कर सकता है। अपनी पड़ोसन मीना चाची के आगे उसने अपने दिल की बात रखी। मीना ने कहा कि वह अपने पति से बात करके नफीसा के लिए काम का बंदोबस्त करने की कोशिश करेगी।

कुछ दिन बाद मीना ने नफीसा को कहा कि वह अपने काम के अच्छे नमूने बनाकर पास ही की बुटिक में दे आए। यदि उसका काम पसंद आया तो उसे ऑर्डर पर काम

मिला करेगा। उसके आगे आशा की किरण चमक उठी थी। उसके पास पुराने बनाए हुए बटुए, मोबाइल कवर, पर्स वगैरह रखे थे। उसने पुराना संदूक खोला और उन्हें ढूंढने लगी। संदूक में उसे अपनी शादी का जोड़ा भी दिखाई पड़ गया। उसे देखकर नफीसा जी भरकर रोई। उसने अपने आप को संभाला, सोचने लगी- शादी से सिर्फ सुख ही क्यों मांगे? उसके पति की निशानी, उसके बच्चे तो उसके पास थे ही। और फिर, वह अपना जरदोजी का सामान निकालकर रसोई की तरफ चली गई।

सुबह नफीसा ने जल्दी-जल्दी घर के काम निपटाए। फिर मीना चाची के बताए पते की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में अच्छे-बुरे ख्याल आ-जा रहे थे। यदि मेरा काम उन्हें पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, मैं और कुछ तो कर नहीं पाऊंगी। यदि उन्होंने नकार दिया तो मैं टिफिन बनाना शुरू कर दूंगी। पर उसके लिए अनाज, सब्जी, दाल के पैसे कहां से आएंगे? टिफिन भी खरीदने पड़ेंगे। वह सोच ही रही थी कि बुटिक आ गया। नफीसा ने डरते-डरते कदम अंदर बढ़ाए।

वह इतने सुंदर बुटिक को भीतर से पहली मर्तबा देख रही थी। तरह-तरह के लहंगे, ओढ़नियां, साड़ियां, कुर्ते देखकर

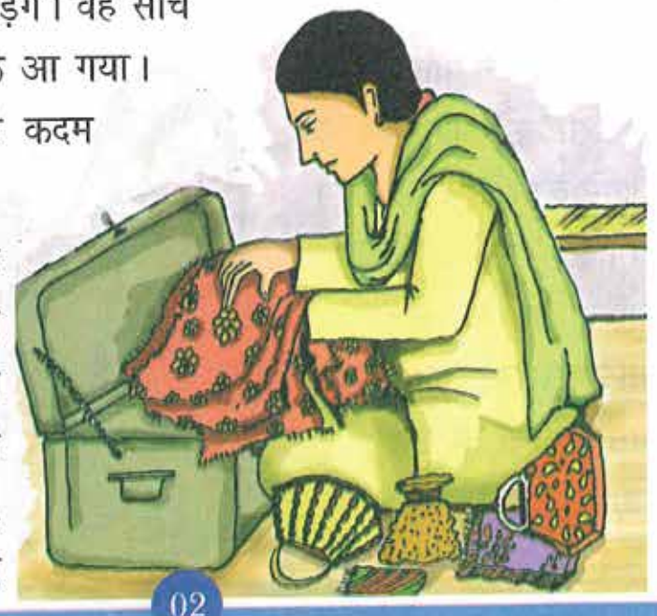

वह दंग रह गई। सोचने लगी- क्या वह भी कभी ऐसा काम कर पाएगी? तभी सामने से आती एक महिला को देखकर वह चौंक गई। ये गीता जी थीं, बुटिक की मालकिन। नफीसा को देखकर उन्होंने पूछा कि वह क्यों आई है?

नफीसा ने आंसू भरी आंखों से अपनी पूरी हालत बयान की और अपने साथ लाए अपने नमूने दिखाए। नमूने वाकई सुंदर थे। गीता जी ने कहा- "मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूं। तुम्हारे हाथ में सफाई है। मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम चिंता न करो।" नफीसा मन-ही-मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके मन की मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी।

गीता जी ने उसे एक साड़ी दी, नमूने की डिजाइन दी, मोती, धागे आदि सारी सामग्री दी। एक तारीख भी ठहरा दी, जब उसे काम पूरा करके देना था। नफीसा तेज-तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले वह मीना चाची को शुक्रिया देने गई। नफीसा रोजाना दोपहर भर जरदोजी का काम करने लगी। नतीजा यह हुआ कि तय तारीख से पहले उसका काम पूरा हो गया। नफीसा अपनी पहली तनख्वाह के लिए

उत्सुक थी। वह बुटिक पर पहुंची। गीता जी उसका काम देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने रमेश बाबू से कहा कि उसे उसका पैसा दे दिया जाए।

नफीसा अबकी बार एक लहंगा ले गई। जितना बड़ा काम, उतना अधिक पैसा। इसी तरह सिलसिला चल पड़ा। नफीसा ने अपने बेटी को स्कूल में भी डाल दिया। अब उसका कुछ पैसा बचने भी लगा था। जरदोजी उसका शौक था। नफीसा खुश थी, उसके हुनर ने मुसीबत में उसकी मदद की थी।

कई बार ऐसा होता था कि गीता जी जब बुटिक में नहीं होती थीं, तब नफीसा रमेश बाबू से अपनी तनख्वाह लेकर चली जाती थी। कई बार उसे ऐसा महसूस होता था कि रमेश बाबू की नजरें उस पर कुछ ज्यादा देर तक ठहरी रहती हैं। मगर उसने इस बात को नजरअंदाज किया। धीरे-धीरे रमेश बाबू का हाथ तनख्वाह देते समय नफीसा के हाथ से टकराने लगा। नफीसा को ये सब अटपटा लगता था, लेकिन वह कुछ कहने में झिझकती रही। वह यह कहकर खुद को समझाती रही कि शायद गलती से ऐसा हो गया होगा।

रमेश, नफीसा की पारिवारिक हालत जानता था। उसे पता था कि वह एक मजबूर औरत है। अब रमेश उसे उसी समय बुलाने लगा, जब बुटिक में गीता जी नहीं रहती थीं। वह कई बार उसके

बहुत करीब आकर खड़ा हो जाता या उसके जाते समय दरवाजे पर खड़ा हो जाता। नफीसा क्या करती, आखिर पैसा तो उसी से लेना था। वह मन मसोसकर रह जाती। रमेश की ये हरकतें उसे बहुत बुरी लगती थीं। एक-दो मर्तबा वह घर जाकर बहुत रोई भी।

एक बार ऐसा हुआ कि जब नफीसा अपना ऑर्डर देने आई तो बुटिक में एक-दो कारीगर ही थे। मौका पाकर रमेश ने नफीसा से कहा कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। नफीसा के पांवों के नीचे से धरती खिसक गई। वह तो पैसा बिना लिए ही घर की ओर दौड़ गई। किसी अपराध की आशंका से उसके शरीर में कंपकंपी हो रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ऐसा वाकया उसके साथ पहली बार हुआ था।

संयोग से उस दिन मीना चाची उसे रास्ते में ही मिल गईं। उन्हें देखकर वह भावुक हो गई। मीना चाची ने जब पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसके मन में डर था कि आगे पता नहीं क्या होगा। अगली बार जब वह पैसा लेने जाएगी तो रमेश क्या बोलेगा, क्या करेगा? वह काम छोड़ देना चाहती थी।

मीना चाची ने कहा कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। काम छोड़ देगी तो क्या करेगी? नई जगह नया रमेश बाबू नहीं मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? चाची ने कहा कि अखबार में उन्होंने पढ़ा है कि छेड़छाड़ करना भी अपराध है, जिसकी सजा रमेश को मिलनी चाहिए। दोनों ने निश्चय किया कि वे यह घटना गीता जी को बताएंगी, ताकि बाकी महिलाएं भी रमेश से बच सकें।

गीता जी के पति पुलिस के बड़े अधिकारी थे, इसलिए गीता जी कानून की काफी जानकारी रखती थीं। गीता जी की बात सुनकर रमेश बुरी तरह घबरा गया। सजा के डर से उसे अपने बीवी-बच्चों की चिंता हो गई। वह गीता जी से माफी मांगने लगा। उसने कहा- "आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा।"

गीता जी को यह लगा कि यह पहला मौका है, इसलिए रमेश को माफ किया जा सकता है लेकिन उसे उसकी गलती की गंभीरता का अहसास कराना जरूरी है। इसलिए उन्होंने उसे डपटते हुए कहा कि कल वे उसकी मुलाकात अपने पति से कराना चाहती हैं। मरता क्या न करता, रमेश को तो राजी होना ही था।

गीता जी के पति, रमेश से काफी गंभीरता से पेश आए। उन्होंने कहा कि आज औरतों के

खिलाफ जो भयानक अपराध हो रहे हैं, उनकी शुरुआत ऐसी छोटी हरकतों से ही होती है। धीरे-धीरे मामला तूल पकड़ता जाता है। आज औरतें घर से बाहर आकर काम करने लगी हैं। मर्दों को चाहिए कि उनकी हालत समझने की कोशिश करें। मर्दों को कोई हक नहीं कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे दोस्ती बनाने की कोशिश करें। औरत की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हिफाजत मर्दों को भी करनी होगी।

गीता जी ने रमेश से कहा - "यह तुम्हारा पहला अपराध है, इसलिए मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देती हूं। आगे से तुम्हारा व्यवहार नफीसा को आदर देने वाला हो, वरना तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे।" रमेश की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने गीता जी व नफीसा से माफी मांगी।

नफीसा ये सब सुन रही थी। उसे बड़ी हैरत हुई कि औरतों की गरिमा के लिए सरकार ने इतने कानून बनाए हैं, जिनकी उसे कुछ खबर नहीं थी। अब नफीसा को एक नई ताकत मिली। वह इस अजनबी दुनिया में अपने बच्चों के साथ सिर उठाकर जी सकती थी। उसका सिर, एक बार फिर अपने खुदा की इबादत में झुक गया।

यौन प्रताड़ना के खिलाफ कानूनी प्रावधान

- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, फरवरी 2013 में लागू हुआ।
- यह कानून घर में काम करने वाली महिलाओं (नौकरानियों) पर भी लागू होता है।
- इस कानून के तहत 90 दिन के भीतर अपराधी को सजा देनी होगी। यदि दफ्तर ऐसा नहीं करता तो उस पर जुर्माना होगा।
- यदि काम करने की जगह पर महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ रोकी न जाए, या अपराधी को दंड न दिया जाए तो दंड कठोर होता जाएगा। यह भी हो सकता है कि दफ्तर बंद करवा दिया जाए।
- अपराधी को 50,000/- रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- छूना (स्पर्श करना), गंदे चित्र दिखाना, गंदी बातें करना, सेक्स की मांग करना या निवेदन करना छेड़छाड़ में शामिल हैं। ऐसी हरकत या व्यवहार, जो शोभा नहीं देता, छेड़छाड़ में शामिल किए गए हैं।
- काम करने की जगह पर यह सूचना लगाना जरूरी है कि महिलाओं से छेड़छाड़ दंडनीय अपराध है।
- हर काम करने की जगह पर ऐसी समिति जरूरी है, जहां महिला छेड़छाड़ की शिकायत कर सके।

❄❄

कानूनी साक्षरता शृंखला पुस्तिकाएं

शीर्षक	शृंखला क्रमांक
◆ **आंखे खुल गईं** (भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य)	1
◆ **और बात बन गई** (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 व संशोधित 2003)	2
◆ **रमा की पाठशाला** (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009)	3
◆ **गरिमा का सवाल** (यौन हिंसा के विरुद्ध कानून 2013)	4
◆ **दहेज परंपरा नहीं अभिशाप** (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961)	5
◆ **आशा की किरण** (घरेलू हिंसा से संरक्षण 2005)	6
◆ **अब कोई भूखा न रहे** (खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013)	7
◆ **अत्याचार का अंत** (अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989)	8
◆ **रमेश को मिला न्याय** (नि:शुल्क विधिक सहायता)	9
◆ **हमारे जंगल - हमारी धरोहर** (अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008)	10
◆ **यूं बनी सड़क** (भू-अधिग्रहण कानून 2013)	11
◆ **भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं**	12

साक्षर भारत

राज्य संदर्भ केंद्र

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति

7-ए, झालाना संस्थान क्षेत्र, जयपुर-302004

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली 110001

वेबसाइट : www.mhrd.gov.in, www.Mygov.in